उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

परिपत्र सं0–01 /वसूली /18–19 दिनांक 02-4-18

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– विशेष वसूली अभियान 2017–18

आप अवगत हैं कि सहकारी वसूली वर्ष 2017–18 समाप्त होने में तीन माह का समय अवशेष रह गया है। मुख्यालय स्तर पर वसूली की समीक्षा किए जाने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि दि0 15.03.18 तक कुल मॉग रू0 2397.23 करोड़ के सापेक्ष मात्र 17.03 प्रतिशत की वसूली हो सकी है। उक्त स्थिति बैंक की वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत अनुकूल नहीं है।

अतएव यह आवश्यक है कि सहकारी वसूली वर्ष 2017–18 की अवशेष अवधि में वसूली हेतु एक ठोस रणनीति तैयार कर उस पर गम्भीरतापूर्वक अनुपालन हेतु कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए।

इस सम्बन्ध में यद्यपि मुख्यालय के परिपत्रांक संख्या सी–94/वसूली/प0सं0 45/17–18 दिनांक 16.08.17 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके है, फिर भी बैंक की वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत एवं नाबार्ड द्वारा लगातार वसूली हेतु दिये जा रहे निर्देशों के कम में आपको पुनः निम्न निर्देश दिए जाते हैंः–

1. बैंक की प्रत्येक शाखा प्रातः 8:00 बजे अनिवार्य रूप से खोली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रातः 8:00 बजे तक शाखा के सभी कार्मिक शाखा पर उपस्थित हो जायें, तथा सभी कार्मिकों की उपस्थिति प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे मण्डल प्रभारी को प्रेषित कर दी जाए। तद्पश्चात गठित वसूली टीमें प्रातः 8:15 तक वसूली भ्रमण पर अवश्य निकल जाये।
2. **विशेष वसूली अभियान के दृष्टिगत दिनांक 30.06.18 तक शाखा प्रबन्धक सहित किसी भी कार्मिक को अवकाश देय नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में शाखा प्रबन्धक सहित समस्त कार्मिकों के अवकाश स्थापना अनुभाग के आदेशांक–16614/स्था0/2017–18 दि0 31.10.2017. द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत किये जायेंगे।**
3. शाखा के कर्मिकों के मध्य आप द्वारा वसूली क्षेत्र/बकायेदारों का आवंटन कर दिया गया होगा। इस सम्बन्ध में पुनः यह निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र/बकायेदारों से वसूली हेतु पर्याप्त तकाजा किया जाए और व्यक्तिगत तकाजे के अतिरिक्त उनसे मोबाइल तथा अन्य संचार माध्यमों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि सभी बकायेदारों से कार्मिकों का सम्पर्क निरन्तर बना रहे।
4. चालू मांग की वसूली पर विशेष बल दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि चालू मांग की शत–प्रतिशत वसूली दिनांक 30 जून 2018, के पहले अवश्य कर ली जाए।
5. चालू मांग की वसूली के लिए यह आवश्यक है कि यथा आवश्यक लगाई गई किश्तों की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के पूर्व सम्बन्धित कृषक को सामान्य नोटिसें अवश्य प्रेषित कर दी गई हो। यदि अभी तक इस प्रकार की नोटिस कृषकों को तामील नहीं कराया गया हो, तो एक विशेष अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सभी कृषकों को चालू किश्त की नोटिस प्रेषित कर दी गई है। चालू मांग से सम्बन्धित कृषकों को यह

भी अवगत कराया जाए कि यदि उनके द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि जमा करा दी जायेगी **तो उन्हें बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज में छूट दी जायेगी।**

6. जिन शाखाओं में चालू मॉग का बकाया दिनॉक 30.06.18 को पड़ेगा उस शाखा प्रबन्धक एवं अन्य कर्मिकों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा और तद्नुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
7. बकाया ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में आप द्वारा अब तक ऐसे खातों का चिन्हांकन कर लिया है जिनमें ऋण वितरण के पश्चात् **शून्य वसूली** रही हो। ऐसे बकायेदारों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा उसके साथ पठित नियमावली 1968 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम 1964 एवं बैंक नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
8. रू0 एक लाख से अधिक बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करने हेतु मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक 38001–04/वसूली/17–18 दिनांक 01.04.17 द्वारा दिए गए निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि एक लाख से बड़े चिन्हित बकायेदारों से दिनांक 30.06.18 के पूर्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित हो। उक्त पत्र दिनांक 01.04.17 में दिए गए निर्देशों का विचलन पाए जाने पर सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
9. बैंक के ऐसे बकायेदारों को भी चिन्हित कर लिया जाए जो सरकारी सेवक हों, असलहाधारी हों, एवं किसी संस्था/निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य महत्वूपर्ण पद पर हों और उनके द्वारा जान बूझकर अब तक बैंक की धनराशि अदा न किया गया हो। ऐसे बकायेदारों से एक अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर लिया जाए। नियमानुसार उन्हें वसूली की नोटिसें तामील करवा दी जाए। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा बैंक की धनराशि जमा न की जाए तो उनके विरूद्ध भी वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
10. ऐसे बकायेदार जिनके द्वारा बैंक के पक्ष में **बंधक की गई भूमि** बिना ऋण अदा किए किसी अन्य के पक्ष में बिक्री कर दी गई है, उनके केता एवं विकेता को तत्काल विधिक नोटिस तामिला करा दिया जाए और धनराशि जमा करने के लिए कहा जाए। उक्त बकायेदारों पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्र0का0 के परिपत्र सं0 सी–62/वसूली/भूमि विक्रय/2017–18 दि0 03.11.2017 द्वारा निर्गत परिपत्रानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाय।
11. शाखाओं पर कतिपय बकायेदार अपने ऋण अदायगी के सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय सहित अन्य सक्षम न्यायालयों में वाद/रिट दायर** कर देते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे प्रकरणों में शाखा स्तर पर वसूली की कार्यवाही शिथिल कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते है कि मात्र वाद/रिट योजित कर दिए जाने के कारण ही सम्बन्धित बकायेदार से वसूली की कार्यवाही शिथिल न की जाए, अपितु यह देख लिया जाए कि प्रश्नगत वाद/रिट में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किए गए हैं, तद्नुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जाए। यदि शाखा प्रबन्धक स्तर पर माननीय न्यायालय के किसी आदेश को लेकर कोई भ्रम की स्थिति हो, तो उससे तत्काल मुख्यालय को अवगत कराया जाए जिससे उसका निराकरण कराया जा सके।
12. शाखा के 20 बड़े बकायेदारों का नाम **शाखा कार्यालय, खण्ड विकास कार्यालय तथा तहसील कार्यालय एवं जनपद के 20 बड़े बकायेदारों का नाम जिलाधिकारी कार्यालय/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय** परिसर की दीवार पर लिखवाये जाने की कार्यवाही समस्त शाखाओं द्वारा की जा चुकी होगी, फिर भी यदि किसी शाखा द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई है तो तत्काल 20 बकायेदरों के नाम **Wall Paint** कराया जाय, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

13. शाखा के 50 बड़े बकायेदारों का भी चिन्हांकन किया जा चुका है। ऐसे बकायेदारों से वसूली हेतु प्रभावी अनुश्रवण प्रतिदिन किया जाय। साथ ही साथ शाखा के ऐसे बकायेदार जो अपना बकाया बार–बार अनुरोध करने के बावजूद जमा नहीं कर रहे है उन बकायेदारों से वसूली की कार्यवाही बैंक नियमानुसार करते हुए नीलामी प्रकाशन/समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराई जाय।

वसूली हेतु अन्य सामान्य निर्देशः–

1. वसूली की सम्भावनाओं एवं वित्तीय स्थितियों के दृष्टिगत शाखा पर कार्यरत समस्त स्टाफ वसूली हेतु प्रतिदिन भ्रमण पर जायेगें तथा शाखा पर अधिकाधिक दो कर्मचारी ही दैनिक कार्य हेतु रूकेगें।
2. शाखा स्तर पर गठित वसूली टीमों के समस्त कार्मिक अपने आवंटित क्षेत्र में वसूली के प्रति किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा (सम्पर्क रजिस्टर) अपने पास बनाकर रखेंगे, उक्त सम्पर्क रजिस्टरों का अवलोकन प्र0का0 के उच्चाधिकारियों/मण्डल प्रभारियों द्वारा अपने भ्रमण के समय किया जायेगा।
3. वसूली टीमों यह भी सुनिश्चित करें कि ऋणी सदस्य/बकायेदार से किस तिथि को सम्पर्क किया गया, का विवरण तिथि सहित बनाकर रख जाय। पिछली बार उक्त कृषक ने किस तिथि को धनराशि जमा करने का वादा किया था उक्त तिथि को अवश्य सम्पर्क किया जाय।
4. शाखा स्तर पर रूकने वाले कार्मिकों को बकायेदारों से दूरभाष पर सम्पर्क कर, प्रतिदिन न्यूनतम् 25 बकायेदारों से अवश्य दूरभाष पर वार्ता कर उनसे अपना बकाया जमा करने हेतु प्रेरित किया जाय।
5. मुख्यालय स्तर पर प्रबन्धक श्रेणी–1/2 के स्तर के अधिकरियों को शाखाओं के समस्त कार्मिकों से वार्ता एवं वसूली में किये जा रहे प्रयासों हेतु प्र0का0 के संशोधित पत्रॉक 41636/वसूली/ 2017–18 दिनॉक 13.03.2018 के द्वारा विशेष वसूली सेल का गठन किया गया है, मुख्यालय पर स्थित वसूली अनुभाग के अन्तर्गत विशेष वसूली सेल निरन्तर शाखा प्रबन्धकों एवं शाखाओं पर कार्यरत अन्य कार्मिको के सम्पर्क में रहेगा। शाखा प्रबन्धक एवं अन्य कर्मिकों का यह दायित्व होगा कि वे वसूली सेल द्वारा मांगी गई सूचनाएं एवं जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाएं इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाएगा।
6. बैक देयों की वसूली में अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने के दृष्टिगत **अपर मुख्य सचिव सहकारिता उ0प्र0 शासन, महोदय** के स्तर से समस्त मण्डलायुक्त को अर्द्ध0शा0पत्र 40574–590/ वसूली/भू0वि0 बैंक/ दिनॉक 13.11.2017 प्रेषित कराया गया है जिसके कम में मण्डल स्तर पर अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाय।
7. **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0,** महोदय के स्तर से पत्र सं0 40649, 40650/वसूली/भू0 वि0 बैंक दिनॉक 6.12.2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्गत पत्र के कम में प्रदेश के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर सहयोग हेतु अनुरोध किया जाय।
8. **आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0** के स्तर से पत्रांक 1089/2–संग्रह 4 डी सी0/2018 दिनॉक 9.2.2018 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को निर्गत पत्र के कम में यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर बड़े बकायेदारों के विरूद्ध आर0सी0 की कार्यवाही से आच्छादित केसों की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी से समीक्षा बैठक आयोजित कराए। जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहयोग हेतु निर्देशित कराया जाय।
9. **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता** उ0प्र0, महोदय के स्तर से पत्रांक 7959–62/वसूली/भू0 वि0 बैंक/2017–18 दिनॉक 5.3.2018 द्वारा प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को निर्गत पत्र के सम्बन्ध में धारा 95'क' से

आच्छादित बकायेदारों के सम्बन्ध में अमीनों द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में समीक्षा किये जाने एवं धारा 95 'क' की वसूली हेतु आवश्यकतानुसार अमीन की नियुक्ति एवं साइटेशन आदि जारी कराने हेतु जनपद के जिला सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय।

10. वसूली अभियान के दौरान शाखा के सभी कार्मिक टीम भावना के साथ काम करेंगे जिससे बैंक की धनराशि की अधिकाधिक वसूली हो सके और उनके मनोबल पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. वसूली अभियान में यह प्रयास किया जाए कि क्षेत्र में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि फिर भी किसी प्रकार का विवाद वसूली के दौरान उत्पन्न होता है तो विधिक रूप से उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। प्रत्येक शाखा पर सायंकाल वसूली भ्रमण से वापस आने के पश्चात् शाखा प्रबन्धक अपने सभी कार्मिकों के साथ अगले दिन के वसूली कार्य योजना पर विशेष रूप से विचार कर लें और निर्धारित की गई योजना के अनुरूप पूर्ण मनोयोग से वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
12. समस्त जनपदीय/मण्डलीय शाखा प्रबन्धक जनपद **अपर मुख्य सचिव सहकारिता, उ0 प्र0 शासन, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय** के स्तर से निर्गत पत्रों के कम में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर वसूली अभियान में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु समस्त थानाध्यक्षों को यथोचित निर्देश प्रसारित करायें। साथ ही साथ जनपद/मण्डल के संयुक्त आयुक्त एवं सहायक निबन्धक से सम्पर्क कर जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आहूत कराते हुए वसूली में उत्तरोत्तर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः—<u>निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

1— समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सप्ताह में कम से कम 2 दिन अपने आवंटित क्षेत्र की शाखाओं पर भ्रमण करते हुए पूर्ण मनोयोग से वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जाए।
2—समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
3—समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
4—मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन/वसूली) प्र0का0,लखनऊ।
5—आयुक्त एवं निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
6—उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7—सभापति के निजी सचिव को, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

02.04.18
(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)